संख्या–738 /XLII–1/2017–05(14)2011

प्रेषक,

उषा शुक्ला,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
विद्यालयी शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा/पंचायती राज/
खेल एवं युवा कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग — देहरादूनः दिनांक 05 सितम्बर, 2017

विषय–संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 के द्वारा संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। संस्कृत भाषा के संवर्द्धन एवं व्यापक प्रचार–प्रसार राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत 'उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी' की स्थापना की गयी।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं उक्त भाषा को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु सरकारी कार्यालयों की नाम पट्टिकाओं में हिन्दी के साथ–साथ संस्कृत भाषा भी अंकित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने एवं अपने अधीनस्थ विभाग के अन्तर्गत सरकारी कार्यालयों की नाम पट्टिकायें/बोर्ड में हिन्दी के साथ–साथ संस्कृत भाषा भी अंकित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। संस्कृत अनुवाद सम्बन्धी कार्य हेतु 'उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार' का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

भवदीया,

(उषा शुक्ला)
सचिव।

संख्या–738 (1)/XLII–1/2017–05(14)2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
3. गार्ड फाइल।

(उषा शुक्ला)
सचिव।